राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफेक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23653 दिनांक : 02/11/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** का संचालन किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं।

प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु **नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है। नगर परिषदों एवं नगर विकास न्यासों के लिए संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं नगर पालिकाओं के लिए संबंधित उपखण्ड़ अधिकारी को अभियान प्रभारी अधिकारी** नियुक्त किया जाता है।

उक्त प्रभारी अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में किये जाने वाले कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु नियमित रूप से आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिला कलक्टर अपने जिले की समस्त नगरीय निकायों के लिए समग्र प्रभारी अधिकारी भी होंगे।

शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : PSKS अभियान–21/डीएलबी/2021/23654-24136 **दिनांक :** 02/11/2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
07. आयुक्त/सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, राजस्थान।
08. जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपखण्ड़ अधिकारी, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।
09. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान।
12. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित प्रति।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव